गर्भसमापन कानून (MTP Act), भारत

पृष्ठभूमि

भारत में गर्भसमापन कुछ शर्तों के तहत कानूनी है। 1971 में भारत सरकार ने गर्भसमापन कानून/ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम (MTP Act) पारित किया। 1971 तक, गर्भावस्था की समाप्ति या गर्भसमापन भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत दंडनीय अपराध था। 1964 में, जनसंख्या और मातृ मृत्यु दर मे बढोतरी और असुरक्षित गर्भसमापन के प्रतिकूल परिणामो को रोकने के प्रयासो के अंर्तगत भारत सरकार ने गर्भसमापन के सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी और चिकित्सा पहलुओं की समीक्षा करने के लिए शांतिलाल समिति की स्थापना की थी। समिति की रिपोर्ट में विशिष्ट शर्तों के तहत गर्भसमापन सेवाओं को कानूनी बनाने की सिफारिश की गई। इन सिफारिशों ने MTP Act का आकार ले लिया। MTP Act में 2002 और 2003 में दो बार संशोधन किये गये। MTP Act के तहत विशिष्ट प्रावधान (निम्नलिखित) हैं और इनका उल्लंघन करने पर दो से 7 साल तक कठोर कारावास का दंड दिया जाता है।

गर्भसमापन के लिये कानूनी संकेत

गर्भावस्था को MTP Act के तहत समाप्त किया जा सकता है अगर,

- गर्भ के रहते गर्भवती महिला के जीवन या स्वास्थ्य के लिए जोखिम है;
- गर्भ बलात्कार के परिणाम स्वरूप है;
- गर्भ विवाहित जोड़ों में गर्भनिरोधक की विफलता के परिणाम स्वरूप है; या
- जन्म लेने वाले बच्चे मे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांगता का जोखिम है।

गर्भसमापन के लिये की कानूनी अवधि

20 सप्ताह तक कानूनी रूपसे गर्भसमापन किया जा सकता है

- 12 सप्ताह से कम गर्भावस्था होने पर 1 पंजीकृत चिकित्सक की राय से, और
- 12-20 सप्ताह के बीच गर्भावस्था होने पर 2 पंजीकृत चिकित्सक की राय से गर्भसमापन किया जा सकता है।

सेवा प्रदाता

MTP Act के अंर्तगत गर्भसमापन केवल पंजीकृत चिकित्सक (एमबीबीएस / एलोपैथ) जो अधिनियम के नियमों के अनुरूप स्त्री रोग में प्रशिक्षित या अनुभवी है उन्ही के द्वारा किया जा सकता है।

गर्भसमापन के स्थान

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ऊपर के स्तर के सरकारी केंद्रोको गर्भसमापन सेवा प्रावधान का अधिकार कानूनी रूपसे प्राप्त है। निजी क्षेत्र में, निम्नलिखित केंद्रों में गर्भसमापन किया जा सकता है

- आपात स्थिति के मामले को छोडकर, सिर्फ सरकारी जिला स्तरीय समिति द्वारा स्थापित या अनुमोदित केन्द्र
- ऑपरेशन टेबल, उपकरण, एनेस्थीसिया और रिसक्सिटेशन की सुविधा, नसबंदी के उपकरण और आपातकालीन उपयोग के लिए दवाओं से लैस केन्द्र।

गोलियों द्वारा गर्भसमापन के लिए, अनुमोदित केंद्र (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है) या उन तक पहुंच वाले अनुमोदित निजी सेवा प्रदाताओं का केन्द्र जिसमे अनुमोदित केंद्र के मालिक से प्राप्त अनुमति प्रमाण पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित है, गर्भसमापन के कानूनी स्थान है।

अधिनियम के तहत महिला की पात्रता

- 18 या उससे अधिक वर्ष उम्र की महिला गर्भसमापन के लिये सहमति देने के लिये पात्र है। महिला के पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।यदि महिला 18 वर्षसे कम उम्र की है या मानसिक रूप से बीमार है अर्थात मानसिक विकलांगता को छोड अन्य मानसिक विकार के लिए जिसे उपचार की आवश्यकता है, ऐसी स्थिती मे उसके कानूनी अभिभावक की सहमति जरूरी है।

- गर्भसमापन के लिये आई महिला के व्यक्तिगत विवरण की गोपनीयता के आश्वासन के लिये कानून के अंर्तगत पात्र है।

गर्भसमापन की पध्दतियां

गोलियां: 7 सप्ताह या 49 दिनों के गर्भावस्था के लिये गोलियों के उपयोग की कानूनी अनुमति है। मिसेप्रिस्टोन के 200 एमजी की 1 टैबलेट देने के 36-48 घंटे बाद मिसोप्रोस्टोल 200 एमसीजी की 4 गोलियां दी जानी चाहिए। दवा सेवा प्रदाता के पर्चे प्रस्तुत करने पर ही उपलब्ध होनी चाहिए और दवाओं का प्रशासन चिकित्सा देखरेख में होना चाहिए।

सर्जिकल: 7 से 15 सप्ताह के गर्भावस्था के लिये एमवीए या मैनुअल वैक्यूम एस्पीरेशन किया जाना चाहिए। 15 से 20 सप्ताह के गर्भावस्था के लिये, एनेस्थीसिया के तहत डिलेटेशन और इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पीरेशन या ईवीए किया जाना चाहिए।

SAHAJ on behalf of CommonHealth

SAHAJ, 1 Shri Hari Apartments, 13 Anandnagar Society,
Behind Express Hotel, Alkapuri, Vadodara, Gujarat, India 390007
Tel: 91-265-2342539 • Email: sahaj_sm2006@yahoo.co.in
Website: www.sahaj.org.in

Contact: Swati Shinde [Coordinator CommonHealth] • Email : cmnhsa@gmail.com
CommonHealth website: http://www.commonhealth.in